भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *62

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

बांधों का निर्माण

***62. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित देश में नए बांधों के निर्माण हेतु कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विशेषकर केरल में बांधों का निर्माण किये जाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में मुल्लापेरियार में नए बांध का निर्माण करने हेतु पर्यावरण आकलन संबंधी अध्ययन करने हेतु अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केंद्र केरल और तमिलनाडु के किसी संयुक्त दल ने मौजूदा बांध की मजबूती का आकलन करने के लिये हाल ही में मुल्लापेरियार बांध का दौरा किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा "बांधों का निर्माण" के संबंध में दिनांक 21.11.2019 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख)

अंतर-राज्यीय नदियों पर स्थित बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं अथवा ऐसी परियोजनाएं जहां राज्य सरकार, भारत सरकार से सहायता लेना चाहती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और जल शक्ति मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अप्रैल 2016 की शुरूआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान नए बांधों के निर्माण (केरल राज्य की अट्टापाड़ी घाटी सिंचाई परियोजना (एवीआईपी) सहित) को शामिल करते हुए 13 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुई हैं। इनमें से सीडब्ल्यूसी द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् 2 प्रस्तावों को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई और केरल के एवीआईपी सहित 3 प्रस्ताव कतिपय टिप्पणियों के साथ संबंधित राज्यों को वापस भेज दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने हेतु सीडब्ल्यूसी की जांच समिति की सैद्धांतिक सहमति के लिए उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अन्य 8 परियोजनाओं की पूर्व साध्यता रिपोर्टें प्राप्त हुई थी जिनमें से डीपीआर तैयार करने हेतु 2 परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है और अंतर्राज्यीय मुद्दों के मद्देनजर एक पीएफआर को टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया है।

सीडब्ल्यूसी की सलाहकार समिति/जांच समिति द्वारा शेष प्रस्तावों की स्वीकृति इस संबंध में सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों पर संबंधित राज्य सरकारों के संतोषजनक अनुपालन पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अन् उसने दिनांक 14.11.2018 के पत्र के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कतिपय शर्तों के साथ मौजूदा मुल्लापेरियार बांध के प्रतिस्थापन हेतु एक नए बांध के निर्माण के लिए पूर्व निर्माण कार्यकलाप संबंधी विचारार्थ विषय प्रस्तुत किए है।

(ङ)

तमिलनाडु और केरल राज्यों से समिति के अन्य दो सदस्यों सहित मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यों वाली पर्यवेक्षण समिति ने दिनांक 04.06.2019 को मुल्लापेरियार बांध कार्य-स्थल का दौरा किया तथा इंसट्रूमेंटेशन, आवाह में अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली की संस्थापना, रूल कर्व आदि को अंतिम रूप देने जैसे बांध से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की।

*****